आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म (भाग–दो)

परमिट संख्या 1148/BFH/10/10-11 दिनांक 21.4.012

सेवा में,

श्री/श्रीमती छोटेलाल बसंत पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रामस्वरूप बसंते

निवासी D-25 बसंत नगर, कमलानगर आगरा।

भवन मानचित्र स्वीकृति की शर्तें

निर्माण स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन ही जारी की जा रही है।

(क) किया जाने वाला निर्माण सुसंगत भारतीय मानक संस्थान एवं नेशनल बिल्डिंग कोड के प्राविधानों के अनुरूप अर्ह स्ट्रक्चरल इंजीनियर एवं वास्तुविद् द्वारा प्रमाणित डिजाइन के अनुसार ही होगा।

(ख) निर्माण का सुपरवीजन भी अर्ह वास्तुविद् की देखरेख तथा उनके उत्तरदायित्व के अधीन किया जायेगा। ताकि सुरक्षा की अपेक्षित व्यवस्थाओं का अनुपालन सुनिश्चित रहे।

1. भवन निर्माण के पर्यवेक्षण हेतु एक स्नातक सिविल अभियन्ता, जिन्हें भवन निर्माण के कार्यों के पर्यवेक्षण में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव प्राप्त हो, आबद्ध किया जायेगा। पर्यवेक्षण में वह विशेष रूप से यह सुनिश्चित करेगा कि भवन निर्माण हेतु स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा संरचनात्मक सुरक्षा एवं भूकम्परोधी समस्त व्यवस्थाएँ करने के लिए जो डिजाइन अनुमोदित की गई है, उसके अनुरूप ही भवन निर्माण किया जा रहा है।
2. भवन निर्माण में जो मुख्य निर्माण सामग्रियों सीमेण्ट, स्टील, स्टोनग्रिट, ईट कोस सैण्ड एवं गार्टर तथा कान्क्रीट मिक्स इत्यादि जो उपयोग में लायी जायेगी, की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु कार्य स्थल पर ही उनके परीक्षण करने की सुविधा उपलब्ध रहनी आवश्यक होगी। इसके साथ ही निर्माण सामग्रियों की नियमित सैम्पलिंग करके उनकी गुणवत्ता का भौतिक एवं रसायनिक परीक्षण अधिकृत प्रयोगशाला/संस्थाओं से कराकर उनके परीक्षण परिणाम कार्यस्थल पर ही उपलब्ध रहें ताकि जब भी कोई विशेषज्ञ स्थल पर कार्यो का निरीक्षण करने के लिए जाये तो इन परीक्षण परिणामों को भी देख सकें।
3. निर्माण कार्य का आकस्मिक तकनीकी निरीक्षण एक स्वतन्त्र एक्सपर्ट द्वारा ही कराया जायेगा। क्रेता/आंवटियों द्वारा नियुक्त एक्सपर्ट द्वारा भी समय–समय पर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया जा सकेगा। इस सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये जाने वाले निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

(ग) यदि स्वीकृति की किसी भी शर्त का पालन नहीं किया जाता अथवा निरीक्षणकर्ता तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट संतोषजनक नहीं होगी तो आगे का कार्य रूकवाते हुए निर्माण कार्य को अनाधिकृत मानते हुए सील भी किया जा सकेगा। ऐसे में न केवल पूर्णता प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जायेगा वरन् निर्माणकर्ता व उसके सहायक क्रिमिनल शिथिलता की परिधि में माने जायेंगे और तद्नुसार कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी।

(घ) कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर 3 फुट X 4 फुट आकार का एक बोर्ड लगा होगा, जिस पर भवन निर्माणकर्ता एवं स्वामियों का नाम, आर्कीटेक्ट, स्ट्रक्चरल इंजीनियर सर्विस डिजाइन इंजीनियर एवं सुपरवीजन इंजीनियर का नाम इस प्रकार उल्लिखित होगा कि भवन से लगे मुख्य मार्ग से ही उसे स्पष्ट पढ़ा जा सके। निर्माण कार्य से सम्बन्धित कार्यस्थल पर निम्न अभिलेख भी उपलब्ध रहेगा।

(1) नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त प्रति।

(2) अनुमोदित प्रयोगशाला संस्थान द्वारा की गयी मृदा परीक्षण की पूर्ण रिपोर्ट एवं प्रस्तावित नींव के प्राविधान सम्बन्धी संस्तुतियाँ।

(3) अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षर एवं मुहरयुक्त नींव, सुपर स्ट्रक्चरल की गणनाएँ एवं भवन को भूकम्परोधी बनाने हेतु संरचनात्मक सुरक्षा से सम्बन्धित समस्त मानचित्र एवं स्ट्रक्चरल डिटेल।

(4) अधिकृत आर्कीटेक्ट द्वारा हस्ताक्षर एवम् मुहरयुक्त समस्त बर्किंग डिजाइन जिसमें सेक्शन एवम् एलिवेशन तथा सर्विसेज डिटेल इत्यादि शामिल रहेंगे।

(5) भवन निर्माण हेतु आवश्यक समस्त टी0 एण्ड पी0 का विवरण।

(6) साइट इन्जीनियर इन्सपेक्शन रिपोर्ट रजिस्टर।

(7) सामग्री परीक्षण रिपोर्ट एवम् सम्बन्धित रजिस्टर।

(ड) मुख्य अग्निशमन अधिकारी तथा पी0 डब्लयू0 डी0, नगर निगम, नजूल एवम् अन्य विभागों के अनापत्ति प्रमाणपत्रों में दी गई शर्तो का पालन करना होगा।

भवदीय

21/4/2012

प्रभारी नियोजन

आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण

संलग्न : स्वीकृति मानचित्र

संख्या 1148/BFH/10/10-11 तद्दिनांक

प्रतिलिपि– 1 – कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम आगरा को सूचनार्थ।

2 – सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।

3 – मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0........................दिनांक........................के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।

आगरा विकास प्राधिकरण

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

परमिट फार्म –एक

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के लिए)

परमिट संख्या 1148/BFH/10/10-11 दिनांक 21.4.12

सेवा में,

श्री/श्रीमती छोटेलाल बंसल

पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री रामस्वरूप बंसल

निवास D-25 बसंत बिहार कमला नगर आगरा

महोदय/महोदया,

Kh.No भवन/भूखण्ड 72 भाग स्थित मौजा जगनपुर में प्रस्तावित निर्माण कार्य जिन्हें संलग्न नक्शे में दर्शाया गया है निष्पादित किये जाने की अनुज्ञा निम्नाँकित अनुबन्धों के अधीन की जाती है:–

1. यह अनुज्ञा उत्तर प्रदेश नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अधीन प्रदत्त की जाती है किन्तु इसके फलस्वरूप संदर्भित भूगृह में किसी प्रकार के स्वामित्व न तो प्राप्त होता है और न ही समाप्त होता है और न यह अनुज्ञा किसी प्रकार की विधित कार्यवाही हेतु निरयोग्य अथवा विवधित करती है एवंम् इसमें स्वामित्व के अधिकार पर भी किसी भी भांति का अनुकूल अथवा प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है।

2. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गयी है, निरस्त की जा सकती है।

3. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आँकडे बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हो, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप भूल से इस नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

4. ऐसे निर्माण कार्यो के लिये नगर महापालिका अधिनियम की धारा 293 के अधीन प्रथक स्वीकृति अनिवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

5. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें जहां पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0 प्र0 विद्युत परिषद द्वारा न हटा दिये जायें।

6. अनुज्ञापत्र के साथ संलग्न 1 एवं 2 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

7. भवन निर्माण पूर्णता प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य है।

संलग्नः स्वीकृति मानचित्र

भवदीय

प्रभारी आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

आगरा विकास प्राधिकरण

संख्या 1148/BFH/10/10-11 **तद् दिनांक**

प्रतिलिपि–
1. कर निर्धारण अधिकारी, नगर निगम, आगरा को सूचनार्थ।
2. सम्पत्ति अधिकारी, आगरा विकास प्राधिकरण को सूचनार्थ।
3. मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, आगरा को इस आशय के साथ कि उनके द्वारा दिये गये अनापत्ति पत्र सं0.................दिनांक.....................के सन्दर्भ में फायर के प्राविधानों को सुनिश्चित करायें।
4. प्रर्वतन अनुभाग को सूचनार्थ।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा